

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद ।

पत्रांक / ५२७ / डी०आर०डी०ए०, धनबाद दिनांक ०५.०३.११

प्रेषक,

सहायक, परियोजना पदाधिकारी,
जि० ग्रा० वि० अभि०,
धनबाद ।

सेवा में,

जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,
धनबाद ।

विषय:-

सिमेंट की निविदा को वेवसाइट पर प्रकाशित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक निर्देशानुसार कहना है कि वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु डी०आर०डी०ए०, धनबाद द्वारा संचालित विकास योजनाओं की सिमेंट की निविदा का प्रकाशन जिले के वेवसाइट पर किया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि पत्र के साथ संलग्न विवरणी को धनबाद जिले के वेवसाइट पर प्रकाशित करने की कृपा करें ।

अनुलग्नक-यथोक्त ।

विश्वासभाजन



सहायक, परियोजना पदाधिकारी,
जि० ग्रा० वि० अभि०,
धनबाद ।

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद।

विकास योजनाओं के लिए सीमेन्ट कय हेतु निविदा आमंत्रण सूचना। वर्ष 2011 - 2012


जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, धनबाद के अधीन संचालित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों को सीमेन्ट आपूर्ति करने के इच्छुक सीमेन्ट निर्माताओं/ कम्पनियों/ अधिकृत विक्रेताओं (गिनी प्लान्ट को छोड़कर) से दिनांक 28.02.2011 के अपराहन 3.00 बजे तक मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है एवं उसी तिथि की अपराहन 4.00 बजे कय समिति एवं निविदादाताओं/ उनके प्रतिनिधि (प्राधिकार पत्र प्राप्त) के समक्ष खोली जायेगी एवं कय समिति द्वारा दर का निर्धारण किया जायेगा।


निविदा की शर्तें निम्न प्रकार होगी (शर्तों के अनुरूप आवश्यक कागजात अलग - अलग लिफाफा में संलग्न करेंगे) :-


1. निविदा में सीमेन्ट PSC /PCC सीमेन्ट का दर ब्रांडवार उद्धित करना होगा।
 3. निविदा में भाग लेने वाले कम्पनी आई0एस0आई0 एवं आई0एस0ओ0 धारक होना चाहिये।
 4. निविदा दो भाग में 1 - तकनीकी निविदा (टेकनिकल बीड) एवं 2 - वित्तीय बीड (फाईनान्सियल बीड) के लिये अलग-अलग लिफाफे में देना अनिवार्य होगा। मात्र टेकनिकल बीड में योग्य (कवालिफाईड) निविदादाताओं का फाईनान्सियल बीड खोला जायेगा।
- (क) टेकनिकल बीड में निम्न बिन्दु शामिल रहेगा :-
5. कम्पनी का वार्षिक टर्नओवर कम से कम 300 करोड़ होनी चाहिये। इस आशय का Audited प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
 6. सी0एस0टी0 / जे0एस0टी0 किलयरेन्स अद्यतन समर्पित करेंगे।
 7. आयकर रिटर्न किलयरेन्स अद्यतन समर्पित कराना आवश्यक है।
 8. आई0एस0आई0 455 / आई0एस0ओ0 प्रमाण - पत्र की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक है।
 9. कलान्ड्रटेल एवं ब्राण्ड इमेज (विगत तीन वर्षों) का व्योरा समर्पित करेंगे।
 10. झारखण्ड औद्योगिक नीति 2001 में लाभ योग्य है/ नहीं।
 11. वार्षिक उत्पादन मेट्रिक टन में विगत तीन वर्षों का समर्पित करेंगे।
 12. वर्तमान माह/ गत माह के प्रत्येक सप्ताह का लैबटेस्ट रिपोर्ट तकनीकी बीड के साथ समर्पित करेंगे।
 13. निविदादाता सिमेंट कम्पनी का धनबाद जिला में क्षेत्रिय कार्यालय/ क्षेत्रिय वितरक तथा भंडारण का पर्याप्त क्षेत्र न्यूनतम 5000 sft होनी चाहिये।
 14. सिमेंट कम्पनी को अपना Clinker होनी चाहिए। इस आशय का प्रमाण पत्र तकनीकी बीड के साथ समर्पित करेंगे।
 15. निविदा में शामिल होने वाले निविदादाता न्यूनतम तीन जिलों में संतोष जनक सीमेंट आपूर्ति कर रहे हो या किये हो का प्रमाण - पत्र / आदेश की छाया प्रति संलग्न करेंगे।
 16. निविदा के साथ 50000.00 (पच्चास हजार रुपये) का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त, धनबाद के पदनाम से टेकनीकल बीड के बंद लिफाफा में समर्पित करना होगा। यदि पूर्व में बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ समर्पित किया गया हो तो बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति/ बैंक ड्राफ्ट संख्या का उल्लेख करना होगा एवं इस आशय का पत्र कार्यालय को देना होगा।
- नोट:- टेकनिकल बीड में अंकित कंडिका के अनुसार कागजात कमवार संलग्न करेंगे।

(ख) वित्तीय बीड में निम्न बिन्दु शामिल रहेगा :-

17. प्रति बोरी (50 किलो रहित) सिमेंट का दर।
18. प्रत्येक प्रखण्ड मुख्यालय तथा तकनीकी विभागों के मुख्यालय गोदाम तक पहुँचने की दर सहित।
19. डिमांड ड्राफ्ट प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर डेलिभरी की गारंटी सहित। इस आशय का पत्र अधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
20. आपूर्तिकर्ता को आवंटन के अनुसार विभागीय पदाधिकारियों/ एजेन्सी को उनके मुख्यालय गोदाम तक सिमेंट आपूर्ति करना होगा एवं सिमेंट का दर परिवहन एवं हथालन सहित होगा। आपूर्तिकर्ता की उपावंटन के अनुसार प्रखंड मुख्यालय/ तकनीकी विभागीय मुख्यालय गोदामों तक सिमेंट निर्धारित दर में ही पहुंचाना होगा।
21. स्वीकृत दर पर एक से अधिक निविदादाता से सिमेंट की आपूर्ति लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी की सुरक्षित रहेगा।
22. विना कारण बताये किसी भी निविदा या सभी निविदाओं को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।


सो. पार. पदा.
धनबाद
9/3/11


निदेशक
उप-प्रखण्ड
धनबाद


उप विकास आयुक्त,
धनबाद।